



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नगरालय
मिनिस्ट्री ऑफ एंवरेनमेंट, फोरेस्ट & क्लाइमेंचे रोडवायर, लखनऊ

Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, अलीगढ़ तल, सेक्टर 11, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector 11, Aligarh, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : ronzo@moefcc.nic.in, ronme@rulkoze.gmail.com

पत्र सं: ४८०/यू०पी०/०४/१७७/२०२३/एफ.सी. / ५६७

दिनांक: 13.12.2023

सेवा में,

अंतिम मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, यापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/TRANS/32650/2018

विषय: उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसिशन कार्पॉरेशन लिंग वाराणसी द्वारा 400 केंद्रीय अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनकूट वन प्रभाग में 98.28 हेक्टेयर का आरक्षित वनभूमि, औबरा वन प्रभाग में 113.048 हेक्टेयर का आरक्षित वनभूमि, सानमढ़ वन प्रभाग में 15.79 हेक्टेयर का आरक्षित वनभूमि, भीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हेक्टेयर का आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हेक्टेयर का आरक्षित वनभूमि अधिकृत कुल प्रभावित 319.28 हेक्टेयर का आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातान के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

तारीख: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-159/81-2-2023-800(189)/2023, दिनांक 20.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में यह (रास्ता) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रलगत प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि यिन्हें विन्दुओं पर आगश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- As per the KML file area proposed for diversion is 324.34 ha, which does not match the proposal area. This needs rectification.
- The progress of CA in earlier approval letter dated 01.11.1993 needs to be submitted.
- Dwarf plantation needs to be proposed, accordingly scheme needs to be submitted.
- Area proposed seems to be part of Kaimur Wildlife Sanctuary. Approval of SCNTBWL needs to be submitted.
- Since the proposal of renewal is submitted after a gap of 4 years, it accounts for violation of FCA. Detailed report regarding the same needs to be furnished by the State Government.
- Present Monitoring status of CA plantation needs to be submitted

भवदीय,

(जॉन प्रणय गिरा)
संवादक वन अधिकारी [फॉन्टेन]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

- प्रधान मुख्य वन राज्यकारी, वन विभाग, 17, राष्ट्रीय प्रताप भवन, लखनऊ, 209001।
- मुख्य वन संरक्षक (ना. संस्थान) एवं अधिकारी, 17, राष्ट्रीय प्रताप भवन, लखनऊ, 209001।
- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (भौतिकी सेवा), लखनऊ।
- प्रधानीय वनाधिकारी रेनकूट, औबरा, रोपांग एवं फैसलाबाद।
- वनाधिकारी अधिकारी, खेत्रांत्र प्रेषण लाइन निर्माण 14/74ए 2, वनवारापुर, नालंदा।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नगरालय को पेंसाकुल पर अपलोड करें। अपेक्षा प्राप्त हो।

(जॉन प्रणय गिरा)
संवादक वन अधिकारी [फॉन्टेन]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1492 / 11-सी—FP/UP/Trans/32650/2018, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 15, 2023

प्रतिलिपि— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रधानीय वनाधिकारी, रेनकूट, औबरा, सोनभद्र, भीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, भीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिकारी अधिकारी, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय-14/74ए-2 अन्धरापुल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।